संख्या-17/2017/एस-3-584/दस-2017-100(10)/2009

प्रेषक,

राज रतन,
उपसचिव,
उ0प्र0शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार, उत्तर प्रदेश,
जवाहर भवन, लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 04 मई ,2017

विषय:-प्रदेश के कोषागारों में बी0एस0एन0एल0 के माध्यम से कोषागारों एवं यू0पी0स्वान के मध्य करायी गयी कनेक्टिविटी के वार्षिक भुगतान के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक बी0एस0एन0एल0 के बिल संख्या UP(E)CAO-/UP-TREASURY/17-18 दिनांक 01-02-2017 का संदर्भ देते हुए कृपया अपने पत्रांक 228/कम्प्यूटर/150/बी0एस0एन0एल0/ए0एम0सी0/को0नि0/2017 दिनांक 26-04-2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वार्षिक लिंक अनुरक्षण प्रदेश के 68 कोषागारों की कनेक्टिविटी जोकि कोषागारों एवं यू0पी0 स्वान के मध्य निक्सी के माध्यम से बी0एस0एन0एल0 से कराई गई है। उक्त कनेक्टिविटी हेतु माह फरवरी, 2017 से जनवरी 2018 तक का लिंक मेन्टेनेन्स चार्ज रू0 10,70,414.00 का भुगतान बी0एस0एन0एल0 को किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के आधार पर निक्सी के माध्यम से बी0एस0एन0एल0 से प्रदेश के कोषागारों के उपयोगार्थ करायी गयी कनेक्टिविटी 68 कोषागारों हेतु रू0 10,70,414.00 (रूपये दस लाख सत्तर हजार चार सौ चौदह मात्र) का भुगतान बी0एस0एन0एल0 को किये जाने हेतु स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-63 के लेखा शीर्षक-2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन "आयोजनेत्तर"-097 खजाना स्थापना-03 मुख्य के मानक मद-47 के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(राज रतन)
उपसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-17/2017 /एस-3-584(1)/दस-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6- अनुभागीय गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(राज रतन)
उपसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।